

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-11/18 32

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (यांत्रिक), राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 07/07/18

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180796460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना / 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49S470180796460545	331.67

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ एकतीस लाख सड़सठ हजार मात्र।

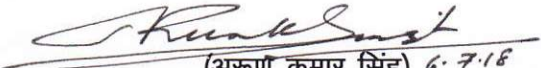
- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध राशि रु. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप परिशिष्ट-1, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 6.7.18
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 32

राँची, दिनांक :- 02/07/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

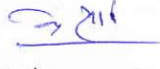

(अरुण कुमार सिंह) 7.18
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 32

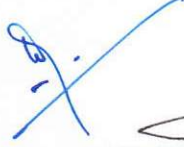
राँची, दिनांक :- 02/07/18

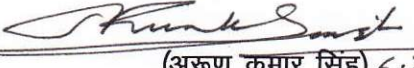
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) 6.7.18
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक.....32

दिनांक 02/02/18

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगना,

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन

विरुत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180796460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, सैबी (DRNMID001)	यांत्रिक	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, सैबी के अन्तर्गत लतसतु जलाशय योजना के बाँया एवं दाँया आउटलेट गेटों तथा उत्तोलन प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य हेतु।	27 / 16-17 प्र०स्वी०, दिनांक-04.07.16	57.72	45.91	0.00	6.92	6.92	34768	Renovation work of right outlet service and emergency gate and provision of counter weight, wire rope, Rubber seal and change of both hoisting arrangement of Gates and its grooves, plunging of intake etc of Latratu Reservoir Scheme.
				29 / 16-17 प्र०स्वी०, दिनांक-14.07.16	49.16	37.53	0.00	4.91	4.91	34769	Payment of annual Maintenance
				25 / 15-16 प्र०स्वी०, दिनांक-17.08.15	56.855	42.42	0.00	3.00	3.00	34775	Payment of annual Maintenance
				44 / 17-18 प्र०स्वी०, दिनांक-03.10.17	196.910	0.00	0.00	179.37	179.37	34779	Renovation work of gate, wire, rope, hoisting arrangement of Chinda Reservoir Scheme Fabrication, Fitting and Fixing of H/R gates and hoisting arrangement of Dhansingtoli Reservoir Scheme
					73.49	60.58	0.00	3.74	3.74		

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की प्रसंग		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अंतर्गत विजय वीयर योजना, सुरंगी जलाशय योजना, सोरो वीयर योजना एवं तपकरा जलाशय योजना के डैम एवं नहरों के विभिन्न गेटों के यांत्रिक कार्य हेतु।	53/17-18 प्र०स्वी० दिनांक-07.11.17	68.270	0.00	0.00	60.81	60.81		Renovation work of U/S gate and HR gates at Head works and CR and HR gate at different Chain in main canal including hoisting arrangement of Roro weir scheme Renovation work of outlet of emergency and service gate and provision of counter weight, wire rope, rubber seal and change of both hoisting arrangement including under investigation of gates and its groove plugging of Tapkara Reservoir Scheme (Head Work)
1		यांत्रिक	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अंतर्गत तपकरा जलाशय योजना के नहरों के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यांत्रिक कार्य हेतु।	58/17-18 प्र०स्वी० दिनांक-29.11.17	51.400	46.93	0.00	1.02	1.02		Fabrication, and installation of new sluice valve, C/R and H/R gates at main canal at different chain with hoisting arrangement and hoist bridge of Tapkara Reservoir scheme at different chain network
			सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची के क्षेत्राधीन मसरिया जलाशय योजना के पुर्नस्थापन के क्रम में मरम्मत कार्य	08/15-16 प्र०स्वी० दि० 21.05.15	26.055	17.07	0.00	2.48	2.48	39439	Payment of annual Maintenance
			सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची के क्षेत्राधीन कतरी जलाशय योजना के गेटों के मरम्मत कार्य	09/15-16 प्र०स्वी० दि० 26.05.15	71.030	58.74	0.00	2.70	2.70	39440	Payment of annual Maintenance
				योग	0.00	331.67	331.67				

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ एकतीस लाख सड़सठ हजार मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह) 6.7.18
अपर मुख्य सचिव